

असाबारगा EXTRAORDINARY

1170 H-Wat 3-34-dat (ii) PART II Section 3 Sub-section (II)

ममैचकार से प्रकाशिक PUBLISHED BY AUTHORITY

579l

वर्षे किली, बृहस्पतिबार, दिसम्बर, 5, 1085/अग्रहायण 14, 1907

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 5, 1985/AGRAHAYANA 14, 1907 No. 579]

इस भाग में भिन्न पृष्ठ तंत्रया की धाती हैं जिससे कि यह असए संख्लम को कप ने रका का लखे

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

परिवहने मंद्रालय

(रेयदे संदि)

नेई दिन्हीः **उ दिगाधरः** 1985

अधिसुचना

का .था. ४६१(थ).--केन्द्रीय संस्कार, भारतीय भ्य श्रीविनेवन ४४१० (1890 को 9) की धार 47 की उपबाद (1) के छंट (छ) आन अदल सक्तियों का प्रयोग करते हुए, निस्तिविधत तियम बनाती है, प्रथति :----

- ा. वंशिष्त नाम और प्रारम्भः (।) इन नियमी का शंक्षिप्त नाम रेल वाजी नेवा अभिकर्ता प्राधिकरण निध्म, १९६५ है।
 - (3) ये राजपव में प्रकाशन की वारीस को प्रवृत्त होंसे।
- परिभाषाएं: इन नियमों में. जब तक कि भंदर्भ से अन्यका अपेक्षित न हों;----
 - (क) 'धनिकतो' से नियम । के बधीन रेल सही सेवा अभिक्रता के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत दिया गया व्यक्ति अभिप्रेत हैं। और इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति का वह कर्मचारी भी है जिसे नियम 5(viii) के प्रधीन पहचान पक्ष दिया गया है,

- (स) 'खन्जिंक्स' ने नियम । के अधीन की गई फन्जिंका अभितेन
- (ग) "सक्षम प्राधिकारी" ने श्रीवीय रेल का भहासक्तक या इन नियमी के अर्थान उसके कृत्यों का निर्वश्न करने के लिए उसके द्वारा धाविकृत किया गया कोई अविकारी अभिनेत हे. भीड
- (u) 'स्टेलन' में बह क्षेत्र अभिक्षेत है जिसके भीखर **म्**ट्रय रेख न्टेजन आर उम रेल से संदक्षित आरक्षण द्यांकम कार्यालय धयस्थित है. जैसे, जनर रेलवे के लिए नई दिख्ली और पुरानी दिन्ती के महिमानित औष्ट्र, पूर्व जान रक्षिया पूर्व रेली हैं. लिए सियन्त्रदह और हाबड़ा, पश्चिम और मध्य रेव के विक मुख्या और दक्षिण रेग के लिए महाम ।
 - अ अनिकर्ता की निवृद्धित के लिए वर्ती: (1) कोई व्यक्ति——
 - (1) जिसके पास नवीगतम धाय-कर कमाश्रीधन प्रमाण पात्र à,
 - (2) जिसके पास नगर में उचित रूप से अनुरक्षित कार्यालय और परिसर तथा ऐसे पर्याप्त साथन और सुविधाएं है जिसमें

1216 GI/85

धाने वाले प्राहकों की पर्याप्त संख्या को स्थान मिल सके, वर्गर

(3) जिसे किसी ऐसे दोष्टिक मामले में दोख सिद्ध नहीं पाया गया है जिसमें नैतिक अवमता श्रंतवीतित है,

धिमकता के रूप में कार्य करने के लिए नियम 3 के प्रचीन धनुशिंख विए जाने के लिए बावेदन कर सकता है।

- (2) यह की सा जो अनुभावित दिए अनि या स्तीकृत किए आने के सिए संदत्त को आएमी एक हो स्टेंगन पर किसी एक के लिए 1,200 रुपए होगी और अतिस्तित अनुभावित के लिए 600 ए. होगी।
- (3) वह प्रतिलूति निकीप शिक्षे प्रस्तुतं करने पर अनुकृष्ति दी जाएमी या नशीकृत की आएमी 5,000 रुपये नवल और 15,000 श्वप् की बैंक भारती होगी । जनत निकीप पर कोई श्याज नहीं होगा।
- (4) प्रस्थेक स्टेशन और रेल के लिए अधिएवांकों की संद्या नह होगी को सक्तम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर प्रथमपरित की काए।
- (4) प्रत्येक स्टेशन और रेल के लिए अभिकताओं की संस्था वह होगी जो सक्षम प्राधिकारी हारा अवधारित की लए।
- अनुहारित का दिया अन्ता--(1) अनुहारित के लिए शानेदन सक्षम प्राधिकारी को प्रारुप I में किया काएना ।
- (2) सञ्च प्राधिकारी क्षांघेदन प्राप्त होने पर एँसी जांन, यदि कोई है, करने के पण्डात, जैसी वह क्षांबक्कः गमने, श्रावेदक को रेन बाबी सेवा ग्रामकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने वाली अनुवन्ति हैगा, या एँने कारणों ने जो लेखबढ़ किए जायेंगे अनुवन्ति देने में इंकार करेगा।
- (3) यदि श्रायेदक ने उस तारोक्ष ने एक माग की सर्वा के मंदिर जिसको सक्षम प्राधिकारी उससे फीस जमा करने और प्रतिभूति प्रस्तुत करने की घरेशा करता है, नियम (3) के उपनियम (2) में यिनिदिष्ट फीस जमा कर दी है और नियम 3 के उप-नियम (3) के ब्राधीन प्रनिभूति देता है नो ब्रायेदक को प्राथप II में श्रमुक्तित दी जाएगी।
- (4) यदि आवेदक उप निधम (3) में विनिर्दिष्ट अविध ने भीतर प्रीक्ष जमा करने और प्रतिभृति प्रस्तुत करने में असफल रहता है वो उसका आवेदन, रह कर दिया नथा समझा अधिना ।
- 5. शर्ते किन पर अनुकारत मंजूर की जा तनेगी: नियम 4 के अधीन की ग्रेगी अनुकारत निम्नतिक्षित जातों के अधीन होगी, अर्थात:——
 - अनुकृष्टित दिये जाने की नारीन्य में तीन वर्ष की अविधि के निष् विधिमान्य होती.
 - (2) अनुज्ञिप्त हस्तांतरणीय नहीं होर्गः.
 - (3) अभिकार्ग हितीय श्रेणी से भिन्न श्रेणियों के निए आरक्षण प्राप्त करने के लिए सेका प्रभार के रूप में 15 रुपये प्रति यात्री और दितीय श्रेणी के लिए ह रुपये प्रति यात्री से ग्राटक प्रभारित नहीं करेगा, किस्तुः नहीं एक गर्वशं से अधिक के लिए आरक्षण एक ही प्रध्यत्रेक्षा पर्नी पर प्राप्त किया नाता है नहीं मुझार प्रभार हितीय श्रेणी से भिन्न श्रेणियों की यहां में पहने यात्री के श्रेतियत प्रत्येक यात्री के श्रित्र प्रमुख्त सात्री के श्रेतियत प्रत्येक यात्री के लिए ह या ये ओर हितीय श्रेणी के लिए प्रत्येक यात्री के लिए इत्येक ग्रांति के लिए इत्येक ग्रा
 - (4) अभिकर्ता कारबार स्वयं करेगा वा रंग प्रयोजन के किए सक्षत्र प्रक्षिकारी द्वारा अनुमोदित अपने कर्मचारी के सहस्यन से करेगा;
 - (5) ध्रमुक्षप्ति और सेवा प्रभार कारकार के सुवृष्य स्थान पर प्रदक्षित किये जायेंगे;

- (6) अभिकतं टिकटों का खरीद, भारतण प्रभार और सेना प्रभारों के लिए प्राहक से प्राप्त किए गए वन को दक्षीते हुए पृथक-पृथक रुपिये ने गाः
- (7) अभिकृती एक रिजय्टर रखेगा जिसमें उसके पूर्वभारियों के गाम, शिय, आप और पते दर्जाए यार्थि:
- (9) अभिकती टिक्टें खरीबने और बारखण प्राप्त करने के लिए अपने कर्मकारियों में से प्रत्येक की एक पहचान पक्ष वेगा जिस पर कर्मवारी की सलम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहरताकारित कोटो सभी होगी.
- (8) अभिकार्य टिकटें खरीदने और अस्टबाण प्राप्त करने का कार्य अपने बाहक के लिखन निवेदम पर करेगा। जामें अभिकार्य फोन पर प्राप्त संदेश के आंबार पर यह कार्य करना है वहां बहु देन टिकट अपने प्राप्त को देने हैं पूर्व उनमें एक निवेदम अभिवारन करेगा;
- (10) মনিকর্মা এক সভিত্রত হয়না বিক্রম সংক্রা ক নতে, লিব, আরু কি ক্রাল কী বিলিভিয়া গাঁহ তিকত ন্ন্রাক লগুলিব কিছে নামী।
- (11) अभिकर्ता या उसके कामीचारी द्वारा कारक्षण के निक्त प्रार्थना एक आरक्षण अध्यक्षित वसी पर की काएगी जिसमें अनुसरित संस्थाक और अपनी निधिमाल्या की अवस्थि उपक्रीतन की अएगी। अध्यक्षित प्रारंथ पर अस्तिकती या उपका कर्मचारी इस्ताअप स्थाग और वह उसे पहलाकत्यक से मान अस्तुत करेगा। अधिकती या उपका कर्मचारी एक बार में एक मै अधिक अध्यक्षित प्रमण प्रस्तुत नहीं करेगा:
- (12) अधिकार्ता या उपनी और ने कोई व्यक्ति रेख परिषर के भीतर अंदे रेक खारकाणकार्यालय में 100 मीटर की दूरी के भीतर अ्वकतरने और वारकाण करने के लिए कोई संबाद्यना मुद्धे प्रतेयाद
- (13) सक्षम 'शिक्षिकारी या उसके द्वारा अधिकार अधिकारी को अधिकारी कारबार की कथिए के बीरान किसी भी समय अपने परिवार में और अधिकिकों तक पहुँचने रोगा और निर्माक्षण के विषय सभी आधिकार महायाता अवान करेगा, और
- (14) जहां काउन्टर लोबीसों बंटे बुने रहरे हों बडा खाँसकता या असके कर्मकारी में प्रध-राजि से प्रताः 7 को के बीच टिकट खरीदने वा छारक्षण के लिए कोई ब्राध्यपेका प्रहण हही की कम्पी।

6. (क) अमुत्रिल का निलम्बन/रङ्करण : मध्यम प्राधिकारी को, भारतीय रेस अधिनियम, 1890 ओर उन निवमों के किस्त्री अन्य उपबंधों पर प्रतिकृत प्रभाव आसे बिना, टिक्टें सरीदने और आरक्षण प्राप्त करने की अवत लागु इन नियमों या किन्हों सन्य नियमों या धिनियमों के समीन शर्ती में में किसी का उल्लंधन करने के लिए या उन्हें न पूरा करने के लिए, या किसी अन्य उपलंधन करने के लिए या उन्हें न पूरा करने के लिए, मा किसी अन्य अप्ताप्त में जिसे सक्षम प्राधिकारी लीकड़िक में नमीचीन समित्रता है, किसी भी ममय अन्त्रीय की निलंबित करने पा रह करने का अधिकार और :

परम्यु इस नियम के सबीन कोई कार्रवाई तय तक नहीं की प्राप्ती जब तक समिकतों को कारण दर्शने का स्थमर प्रदान नहीं कर दिया जाता !

- (स) इन निवमों के किसी भी भंग के लिए भारतीय रेल क्रिक्रिन नियम, 1890 की घारा 47(2) में युवा प्रविकृतिक दण्ड क्रिया जा सकेगा 1
- अनुसारित का नवीकरण :—अमुजारित सब लक सील वर्ष के किल नवीकुल की आसमी और समय-समय पर डेकी प्रवार नवीकरण कोल्य

जब तक सक्षम प्राधिकारी, ऐसे कारणों से जो लेखबड़ किए जायेंगे, किसी मामले में प्रमाया विनिध्यित नहीं करें और नियम 4 के उपर्थंप्र मनुव्यक्ति के नवीकरण को उसी प्रकार से सामुहोंगे जिस प्रकार वे उसकी मंत्रुचे के लिए लागु हैं।

8. पित्पृति निक्षेप का उपयोग: सिंद अभिकलनों प्रयमे प्रोहक की सेवा करने में प्रसंकल रहता है और उसके हारा प्रभासित रकम लौटाने से इंकार करना है तो सक्षम प्राधिकारी इन निवामों के त्यीन कोई ब्रन्य कार करना है तो सक्षम प्राधिकारी इन निवामों के त्यीन कोई ब्रन्य की गई प्रतिभृति की रकम का उपयोग प्रान्न की हारा उसके प्राहमों से विर्ण पर पान की जीटाने के लिए करेगा।

 धर्याः : (1) इन नियमों के सक्षीन किए गए सक्षम प्राधिकारी के प्रत्येक व्यवेश से केन्द्रीय सरकार को धर्माल होगी।

- (2) उप-निमम (1) के ब्रधीन अपील उस तारीक से ब्रिसको वह आवेस, जिसके विरुद्ध अपील की काती है, स्पीलकर्का को संमृचित किया आवा है, तीस विन के भीलर की आएडी ।
- 10. रेश भा वासिन्त : रेल प्रशासन क्षत्रिकतों के दिसी कार्य मा क्षेत्र के कारण प्राह्म को हुई या होती संभावित किसी हाति या नुष्यान के लिए बाबी नहीं होगा।

[र्ग. 85-डी भी सार्ट/200/28] ए.एन. नांच, सनिय

श्रध्य -[

रेज वासी राजा अधिकर्ता के प्राधिकरण के लिए आहेरक

(नियम त देखिए)

1. नाम

- 2. कारबार का पता
- 3. वैनियत (स्वत्वधारी कर्म या कंपनी)—वर्षर फमे है तो रिजिस्ट्री-करण और प्रमाणपत और भागीदारी विलेख की प्रति और यदि संपनी है तो रिजिस्ट्रीकरण प्रमाण-क तथा मंत्रम अनुष्ठिद और कंपना कापन की एक प्रति संक्षण की आए ।
- स्टेशन बार रेल बिसके लिए प्राधिकरण बांडित हैं।
- विसीय प्रास्थिति (सबसे श्रेतिम श्रावनकर समार्शाधन प्रमाणपक्ष संलयन किया जाए) ।
- 6. कश्यार परिसर अपना है या किराए/पट्टे पर है (समर्थनकारी बस्तावेज संजयन करें) ।
- कारबार परिसर तक जन साधारण आसानी से पहुंच सकता है या नहीं।
- कारबार परिश्वर में स्थान सुनिधा के क्योरे धीर विसाएं।
- कारबार परिसर में उपलब्ध मुविधाएं—टेक्निकोन/टेक्नेक्स ग्राहि
- कारवार परितर में बाहुकों के लिए उपलब्ध प्रमुखिधाएं (सीटें/ शीवालय, श्रादि)
- भया कोई स्वामी/मानीवार/निदेलक कभी दोवसिद्ध उद्यापा गया है? यदि हो, सो ब्योरे दीजिए।
- 12 कीई अन्य मुसंगत जानकारी ।

में जिम्मा केसा हुं कि उपर ही गई किसी जानकारों के किसी भी भावस, मिच्या था गहीं, गहीं, चाए जाने की दला में मूछे दी गई अनुजरित एड की जाने भी दायी होगी।

स्त्रान :

वारीशः:

. अविषक के स्रकासर

प्रास्य 11 ग्रनुप्रस्ति (नियम 5 देखिए)

ч.

यह ब्रतुष्ठित मंससं को ब्राप्तित रेल पार्तियों की श्रीर से रेल के रार्टिकन पर प्रवस्थित प्रारक्षण वृक्तिंग कार्यालय से टिक्ट खरीदने, रद्द कराने, प्रतिथाय प्रामिप्रान्त करने और साक्षा स्विधित कराने तथा ब्रारक्षण प्राप्त कराने के लिए ब्राध्विकतों के स्वामें कार्य करने से लिए प्राधिकृत करने हेंनु दी खासी है।

व्यक्तिकर्ता यह कारवार(कारदार का पता) पर निम्नलिखित सतों के ब्रक्षीन रहते हुए करेगा;

- (i) अनुजापित दिए जाने की तारीख में तीन वर्ष की श्रविध के लिए विश्विमान्य होती ।
- (ii) धनु ंधान हस्तान्तरणीय नहीं होसी,
- (iii) यभिकतां हितीय श्रेणी से भिन्न श्रेणियों के लिए सारक्षण प्राप्त करने के लिए सेवा प्रभार के रूप में 15 रुपए प्रति यात्री कोर द्वितीय श्रेणी के लिए 8 रूप ये प्रति यात्री से यदिक प्रभारित नहीं करेता। किन्तु, जहां एक गांकी से प्रविक के निए प्रारप्तण एक ही प्रध्यपेशा पर्नी पर प्राप्त किया जाता है यहां सेवा प्रभार दितीय श्रेणी से भिन्न श्रेणियों की यथा में पहले यात्री के अतिरिक्त प्रत्येक यात्री के लिए 8 रुपए थार दितीय भ्रेणी के लिए प्रत्येक यात्री के लिए 8 रुपए थार दितीय भ्रेणी के लिए प्रत्येक यात्री के लिए 5 रुपए में प्रविक नहीं होगा,
- (iv) प्रभिक्ती कारवार स्वयं करेना या इस प्रयोजन के लिए सक्तम प्राधिकारी बारा अनुमोदित भगने कर्मवारी के माज्यम सं करेता,
- (v) यनुकृष्ति और सेश प्रमार कारबार के सुदृशय स्थान पर प्रदर्शित किए आर्थेगे,
- (vi) अभिकर्ता टिकर्टों की खरीद, आरक्षण प्रभार और सेवा प्रभारों के लिए बाहकों से प्राप्त किए गए धन को दणीते हुए पृथक-पृथक रसीदें देश।
- (vii) अभिकर्ता एक रिजस्टर रखेगा जिसमें उसके कर्मचारियों के नाम, लिग, बायु और पते दर्जाए जायेंने,
- (viii) प्रभिकती टिकटें खरीदने ग्रीर प्रारक्षण प्राप्त करने के लिए श्रपने कर्मचारियों में से प्रत्येक की एक पहचानपद्म देगा जिस पर कर्मचारा की सञ्चन प्राधिकार/ होरा प्रतिहरूकाक्षरित कोटो नगी होगी,
- (ix) व्यक्तिकर्ता टिक्टें खरीवने और धारक्रण प्राप्त करने का कार्य व्यक्ते बाहुक के लिखित निवेदन पर करेगा। जहां व्यक्तिकां फान पर प्राप्त संदेश के धाधार पर गृह कार्य करता है वहां वह रेल टिक्ट अपने ग्राहक को देने से पूर्व उससे एक निवित निवेदन व्यक्तिपाप्त करेगा,
- (x) अभिकर्ता एक रिजस्टर रखेगा जिसमें उसके माहको के नाम, लिंग, प्रायु, पते, याखा की विविद्यियां और टिक्ट संख्यांक उपविक्त किंठ आयेगे.
- (Xi) प्रनिकर्ता या उसके कर्मवारी द्वारा प्रारक्षण के लिए प्रार्थना एक घारकण घटए- खाड धर्वी पर की जाएमी जिसमें प्रमुक्ति संभ्यांक बीर उसकी विधितालकों की घवधि उपवींचत की जाएगी। प्रकारीश प्राप्त पर युवितवी या उसका वर्मवारी

हस्ताक्षर करेगा और यह उसे अपने पहचानपक्ष के साथ प्रस्तुत करेगा । अभिकर्ता या उसका कर्मचारी एक कार में एक से अधिक अध्यापेक्षा प्रस्प अरनुत नहीं करेगा ।

- (Xii) प्रमिकती या उसकी थार से कीई व्यक्ति रेल परिशर के भीतर और रेल खारक्ष्य कार्यालय से 100 मीटर की दूरी के भीतर बुक करने कीर खारक्ष्य करने के लिए कीई तंथावना नहीं करेगा,
- (xiii) सक्षम प्राधिकारी या उनक झारा अधिकृत अधिकारी की ग्रमिकर्ता कारदार की स्रविध के दौरान किसी भी समय अपने परिसर में और ग्रमिलेखों तक पहुंचने देशा और निरी-क्षण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा, और
- (Xiv) जहां काउन्टर चीवीसों घंटे खुने रहते हों बहां स्रभिनतां या उसके कर्मचारी से प्रधीयांत्र से प्रातः सात बने के बीच टिकट खरीदने सा झारअण के निए कोई प्रध्यापेक्षा ग्रहण नहीं की जाएती।

स्यान :

भाज तारीकः को मेरे हस्ताक्षर भीर मुद्रा सेदी गयी।

हस्ताक्षर

MINISTRY OF TRANSPORT

(Deptt. of Railways)

(Railway Board)

New Delhi, the 5th December, 1985

NOTIFICATION

- S.O. 881(E).—In exercise of the powers conferred by Clause (g) of sub-section (1) of section 47 of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890) the Central Government hereby makes the following rules, namely:—
 - Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Authorisation of Rail Travellers' Service Agents Rules, 1985.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—
 - (a) "agent" means a person authorised to act as a rail travellers' service agent under rule 4 and shall include an employee of such person to whom an identity card under rule 5(viii) has been issued;
 - (b) "licence" means a licence issued under rule 4;
 - (c) "competent authority" means the General
 Manager of the Zonal Railway or any
 officer authorised by him to discharge his
 functions under these rules; and
 - (d) "station" means the area within which the main railway station and the Reservation

Booking Offices pertaining to a railway are situated such as New Delhi and Old Delhi areas together for Northern Railway, Scaldah and Howrah for Eastern and South Eastern Railways, Bombay for Western Central Railways and Madras for the Southern Railway.

- 3. Conditions for appointment of an agent. (1) A person who is :--
 - (i) in possession of the latest income tax clearrance certificate;
 - (ii) having office and premises properly maintained with adequate convenience and amenities in the city so as to accommedate the visit of sufficient number of customers: and
 - (iii) not convicted in a criminal case involving moral turpitude;
 - may apply for issue of a licence under Rule 4 to act as an agent.
- (2) The fees on payment of which the licence shall be issued or renewed shall be Rs. 1200 and Rs. 600 for any additional licence for a Railway in the same station.
- (3) The security deposit on furnishing of which the licence shall be issued or renewed shall be Rs. 5,000 in cash and Bank Guarantee for Rs. 15,000. There shall be no accrual of interest on the said deposit.
- (4) The number of agents for each station and Railway shall be such as may be determined by the competent authority.
 - 4. Issue of a licence:
- An application for issue of a licence shall be made to the competent authority in Form I (Annexed).
- (2) On receipt of an application, the computent authority after making such inquiry, if any as it may consider necessary, shall order to issue the licence authorising the applicant to act as a rail travellers' service agent or for reasons to be recorded in writing refuse to issue the same.
- (3) If the applicant deposits fee specified in subrule (2) of rule 3 and furnishes security deposit under sub-rule (3) of rule 3 within a period of one month from the date on which the competent authority requires him to deposit fee and furnish security, he shall be issued the licence in Form II (Annexed).
- (4) If an applicant fails to deposit the fee and furnish the security within the period specified in subrule (3), his application shall be deemed to have been rejected.
- 5. The conditions on which the licence may be granted :-

The licence issued under rule 4 shall be subject to the following conditions, namely:—

> (i) the licence shall be valid for a period of three years from the date of its issue;

- the licence shall not be transferable;
- (iii) the agent shall not charge more than Rs. 15 per passenger as service charges for securing reservation in classes other than second class and Rs. 8 in the second class' but in case where the reservation for more than one passenger is secured on the same requisition slip, the service charges shall not exceed Rs. 8 per passenger in excess of the first passenger in the case of classes other than second class and Rs. 5 per passenger for second class:
- (iv) the agent shall conduct the business himself or through his employee approved by the competent authority for this purpose;
- (v) the licence and the service charges shall be displayed at a conspicuous place of business;
- (vi) a receipt showing money received from his client for purchase of tickets, reservation charges and service charges separately shall be issued by the agent:
- (vii) a register showing names, sex, age and address of his employee shall be maintained by the agent;
- (viii) an identity card with a photograph countersigned by the competent authority for purchase of tickets and scenning reservation shall be issued by the agent to each of his employees;
- (ix) the purchase of tickets and securing of reservation by the agent shall be on a written request from his client. In case the agent acts on a telephone call, a written request shall be obtained by him from the client before delivering the railway ticket to his client:
- (x) a register indicating the name, sex, age, address and journey particulars together with ticket number of his clients shall be maintained by the agent;
- (xi) a request for reservation by the agent or his employee shall be made on a reservation requisition form indicating the licence number and its validity period. The requisition form shall be signed by the agent or his employee and shall be presented with his identity card. Not more than one requisition form shall be presented by the agent or his employee at a time;
- (xii) there shall be no canvassing for booking and reservation by the agent or any person on his behalf within the railway premises and within the distance of 100 metres from the railway reservation office:

- (xiii) the competent authority or an officer authorised by him shall be allowed access to the premises and records any time during the business hours by the agents who shall render all necessary assistance for inspection; and
- (xiv) no requisition for the purchase of tickets or reservations where round-the-clock counters are functioning shall be entertained from the agent or his employee between the hours of midnight and 7 A.M.
- 6. (a) Suspension/Cancellation of the Licence,—Without prejudice to any other provisions under the Indian Railways Act, 1890 and these rules the competent authority shall have the right to suspend or cancel at any time the licence for violation of or for ceasing to fulfill any of the conditions under these rules or any other rule or regulation applicable with regard to purchase of ticket and securing reservation or for any other reason which the competent authority deems to be expedient in the public interest;

Provided that no action under this rule shall be taken unless an opportunity to show cause is given to the agent.

- (b) Any breach of these rules shall also be liable to attract punishment as laid down in section 47(2) of the Indian Railways Act, 1890.
- 7. Renewal of licence.—A licence shall, unless the competent authority for reasons to be recorded in writing otherwise decides in any case be renewable for three years and shall be so renewable from time to time and the provisions of rule 4 shall apply to the renewal of the licence as they apply to the grant thereof.
- 8. Utilisation of Security Deposit.—Where the agent fails to perform the service for his client and refuses to refund the amount charged by him, the competent authority shall in addition to any other action taken under these rules, utilise the amount of security deposited under sub-rule (3) of rule 3 for refund of the amount charged by the agent from his clients.
- 9. Appeal—(1) An appeal shall lie against every order of the competent authority made under these rules to the Central Government.
- (2) The appeal under sub-rule (1) shall be preferred within thirty days from the date on which the order appealed against is communicated to the appellant.
- 10. Liability of Railways.—The Railway administration shall not be liable for any loss or damage suffered or likely to be suffered by a client on account of any act or omission of the agent.

[No. 85-TGI|200|28| A. N. WANCHOO, Secy., Railway Board.

FORM I

APPLICATION FOR AUTHORISATION OF RAIL TRAVELLERS' SERVICE AGENT

(See Rule 4)

- 1. Name
- 2. Business Address :
- Status (whether proprietorship, firm or company)—if firm copy of registration certificate and partnership deed and if company, copy of registration certificate and memorandum of association and articles of association to be attached.
- Station and Railway for which authorisation is sought.
- Financial status (latest income tax clearance certificate to be atached).
- Whether business premises are owned or on hire/lease (supporting documents to be attached).
- 7. Whether business premises are easily accessible for the public.
- Details of accommodation in the business premises with dimensions.
- Amenities available at the business premises— Telephone Telex etc.
- Facilities available for the clients at the business premises (seats toilet etc.)
- Whether any proprietor Partner Director has ever been convicted? if so, give the details thereof.
- 12. Any other relevant information.

I undertake that in the event of any information given above being found to be false or in accurate in any respect, the licence issued shall be liable to be cancelled.

Place : Date :

Signature of applicant.

FORM II

LICENCE (See Rule 5)

No.

 rail travellers from the reservation booking office located at station on station

The agent shall conduct the business from (address of the business) subject to the following conditions:--

- the licence shall be valid for a period of three years from the date of its issue;
- (ii) the licence shall not be transferable;
- (iii) the agent shall not charge more than Rs. 15 per passenger as service charges for securing reservation in classes other than Hnd class and Rs. 8 in the Hnd class but in case where the reservation for more than one passenger is secured on the same requisition slip, the service charges shall not exceed Rs. 8 per passenger in excess of the first passenger in the case of classes other than Hnd class and Rs. 5 per passenger for Hnd class.
- (iv) the agent shall conduct the business himself or through his employee approved by the competent authority for this purpose;
- (v) the licence and the service charges shall be displayed at a conspicuous place of business:
- (vi) A receipt showing money received from his client for purchase of tickets, reservation charges and service charges separately shall be issued by the agent;
- (vii) a register showing names, sex, age and address of his employee shall be maintained by the agent;
- (viii) an identity card with a photograph countersigned by the competent authority for purchase of tickets and securing reservation shall be issued by the agent to each of his employees:
- (ix) the purchase of ticket and securing of reservation by the agent shall be on a written request from his client. In case the agent acts on a telephone call, a written request shall be obtained by him from the client before delivring the railway ticket to his client;
- (x) a register indicating the name, age, sex, address and journey particulars together with ticket number of his client shall be maintained by the agent;
- (xi) a request for reservation by the agent or his employee shill be made on a reservation requisition form indicating the licence number and its validity period. The requisition form shall be signed by the agent or his employee and shall be presented with his identity card. Not more than one requisition form shall be presented by the agent or his employee at a time:

चाःश	П	~भूक्ष	3/	ii)

भारतेका सम्बद्धाः समुख्यास्य

.

- (xii) there shall be no canvassing for booking and reservation by the agent or any person on his behalf within the railway premises and within the distance of 100 metres from the railway reservation office:
- (xiii) the competent authority or an officer authorised by him shall be allowed access to the premises and records any time during the business hours by the Agent who shall render all necessary assistance for inspection; and
- (xiv) no requisition for the purchase of tickets or reservations where round the clock counters are functioning shall be entrained from the Agent or his employee between the hours of midnight and 7 A.M.

day of 198

Une Gozette of Andio

WELLETHE YEAR GRANTERS

PART II—sex 3—34-358 (ii) PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

endere de experience en experimente en experimente

영. 410] - 티토 Neth. 제공로다다시다. 제작대 13, 1987/대리도 23, 8809 No. 410] New Delhi, Thursday, August 13, 1987/SRAVATA 23, 1989

इस असा से फिल कुछ देवया की काती है किससे कि मह लक्ष्म धंसमब के उप के क्या ना करें

Separate Paging is given to this Part in order that it may as filed as a separate complianten

रैल संज्ञालय

(रैलवे लोहे)

वई बिल्ली, 30 जुलाई, 1967

ऋधिन्छ ग

का था. 771(अ):--भारतीय रेंग श्रधिनियम, 1890 (1890 का 9) की धारा 47 की जपधारा (1) के खंड (छ) हारा प्रदेश प्रतिनमों का अधीर करते हुए, केन्द्रीय सरकार खुतबुद्रारा रेल पर्यटक क्षेता प्रधिकक्षी धाधिकरण निषम, 1985 गंभीजन करने के लिए निष्नतिश्वित निषम नगाती है, भगाँच् :--

 (१) से नियम देत प्रयेटक सेवा खिकको प्राधिकरण (वीगोजन) नियम, 1987 बहुतायेंगे।

772 01/87

18

- The same of the sa (2) ते करकारी राजपत है इनने मकाशन की सारीध से मुनायी होते । 2 एँक पर्यटक क्षेत्रा प्रशिक्तनी प्राधिकरण नियम, 1988 वें---
 - (1) नियम 2 में, क्रंड (ग) के लिन्, निम्नतिश्चित खण्ड अतिनिमाधिक किया चीए
 - (य) "समय प्राधिकारी" से अधिप्राय, जन क्टेंग्यों गर राज्यशित क्षेतीस रेलने के पूच्य वाणिक्य मजीसक से हैं, लहां रेस आरक्षण कार्यात्य सीने उसके नियंत्रगाधीन है, और प्रत्य सागतों में संस्वेधित सण्डल रैल भवंत्रक सा संया स्थिति उत्त सुक्त वालिन्त्र आवीत्रक का सण्डल देख प्रबंध हारा हन नियमों के श्रमीन उनके हरवों का निर्गहर करवे के लिए माधिहत किसी सधिकारी से हैं,
- (2) नियस 9 में उप-नियम (1) के बदले निरुद्धतिस्तत जप-नियम को अधिस्यापित
- "s(1) इन निमयों के कबीन किए गए सक्षय प्राधिकादी के अल्पेट आदेश से क्टबंहित क्षेत्रीय रेलये के महाप्रवंत्रक को भवील होगी।

[ti. se-fl. th. mf./200/70] एस॰ एम॰ नीम, हासिक, रेलरे बोर्ड

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board) New Delhi, the 30th July, 1987 NOTIFICATION

- S.O. 771(E).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (1) of Section 47 of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890), the Central Government hereby makes the following rules to accend the Authorisation of Rail Travellers' Service Agents Rules, 1985, namely:
 - (1) These rules may be called the Authorisation of Reil Travellers' Service Agents (Amendment) Rules, 1987.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the
- 2. In the Authorisation of Rail Travellers' Service Agents Rules,
 - (i) in rule 2, for clause (c), the following clause shall be substituted
 - (c) "Competent authority" means the Chief Commercial Superin-tendent of the Zonal Railway concerned at stations where the

(2)

1

deservation Offices are directly under his control, and after cases the concerned Divisional Rail Manager or any cer authorised by such Chief Commercial Superintendent such Divisional Rail Manager, as the case may be, to distribute the functions under these rules ?;

. for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted,

An armsal shall lie against every order of the competent authority made under these rules to the General Manager of the concerned Zonal Railway.".

[No. 56-TG1[200]70]
S. M. VAISH, Seey, Railway Board.

PENTY)

E MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RUNG ROAD, NEW RELEGI-120064 USED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS. DELIH-120054, 1987

he Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड—(ii) PART II-Section 3-Sub-section-(ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं0 623]

No. 623]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 21, 1998/भाद्र 30, 1920

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 21, 1998/BHADRA 30, 1920

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1998

का. आ. 842(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) की घारा 200 के साथ पठित धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा रेल यात्री सेवा अभिकर्ता प्राधिकरण नियम, 1985 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) ये नियम रेल यात्री सेवा अभिकर्ता प्राधिकरण संशोधित नियम, 1998 कहलाएंगे।
- (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
- रेल यात्री सेवा अभिकर्ता प्राधिकरण नियम, 1985 में नियम 5 के खंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को रखा जाए :—
- ''(iii) द्वितीय श्रेणी के अलावा अन्य श्रेणी में आरक्षण सुनिश्चित कराने हेतु सेवा प्रभार के रूप में, अभिकर्ता, प्रतियात्री 25 रु. तथा शयनयान श्रेणी में प्रतियात्री 15 रु. से अधिक प्रभार वसूल नहीं करेगा।"

[सं. 90/टी. जी. 1/23/पी]

डी. पी. त्रिपाठी, सचिव, रेलवे बोर्ड

पाद टिप्पणी : मूल नियम, सं. का. आ. 881(ई) दिनांक 5 दिसंबर, 1985 के अंतर्गत प्रकाशित किए गए तथा तदनुसार सं. का. आ. 771(ई) दिनांक 30 जुलाई, 1987 और सं. का. आ. 331(ई) दिनांक 1 जुलाई, 1992 के अंतर्गत संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board) NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 1998

S.O. 842(E).—In exercise of the powers conferred by section 60, read with section 200, of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Authorisation of Rail Travellers

- These Rules may be called the authorisation of Rail Travellers' Service Agents (Amendment) Rules, 1998. (1)
- They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2560 GI / 98

2. In the Authorisation of Rail Travellers' Service Agents Rules, 1985, in rules 5, for clause (iii), the following clause shall be substituted:—

"(iii) the agent shall not charge more than Rs. 25 per passenger as service charges for securing reservation in classes other than second classes and Rs. 15 per passenger in the sleeper classes."

[No. 90/TG-I/23/P]

D. P. TRIPATHI, Secy. Railway Board.

Foot Note:— The principal rules were published vide No. S.O. 881(E), dated the 5th December, 1985 and subsequently amended vide No. S.O. 771(E) dated 30th July, 1987 and No. S.O. 331(E) dated the 1st July, 1992.

रां॰ डी॰ एरेग°-33004/99

EXTRAORDINARY of the nonestrates and at a

ANA IN-MAR 3-SAMAR (II)

", but to ediffer e for the personal PART II Section 3 Sub-section (ii) to tran and and and and and politicatal, the energ for a Baptisty in the care is ever

भाषिकार से भकाशिताल लगे एक प्रश्न के लोगहरू और 🦚 🖰 PUBLISHED BY AUTHORITE TO THE STREET

manufactive of a control portrain

模 * A transferrence, obstacloss

Ti. 1891 10 No. 1891

मुई दिल्ली, सोमवार, अप्रैंल 12, 1999/बैन्न 22, 1921 ' NEW DELIH, MONDAY, APRIL 12, 1999/CHATTRA 22, 1921

रेल अंत्रालय

(रेल गोर्ड)

अधिस्चना

नई दिल्ली, 6 गाउँल, 1999

का.आ. 245(अ). — केन्द्रीय सरकार , रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 200 के साथ पठित धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेल यात्री सेवा अधिकती प्राधिकरण नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती .

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नोम रेल यात्री सेवा अधिकत्य (दूसरा संशोधन) नियम, 1999 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. रेल यात्री सेवा अभिवर्ता प्राधिवरण नियम, 1985 के नियम 3 में, उपनियम (2) और उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :--
 - "(2) वह फीस जो अनुतािप दिए जाने का स्वीकृत किए जाने के लिए संदत्त की जाएगी एक ही स्टेशन पर किसी एक के लिए 3,000 रु. होगी और अतिरिक्त अनुजात के लिए 1,500 रु. होगी।
 - (3) वह प्रतिपृति निशेष जिसे प्रस्तुत करने पर अनुजापत दी जाएगी का नवीकृत की जाएगी 15,000 ए. नकद और 40,000 र. की नैंक गारण्टी होगी। उक्त निक्षेप पर कोई ब्याज नहीं होगा।"

[सं. 90/टी.ची-1/23/पी.]

डी. पी. त्रिपाठी, सचिव, रेल मोर्ड

पाद टिप्पणी :---पूल नियम सं. का. वा. 881(ई), दिनांक 5 दिसंबर, 1985 के अंतर्गत प्रकाशित किए गुए तथा तरपश्चात सं. का. आ. 771 (ई) दिनांक 30 जुलाई, 1987, सं. सा. आ. 331(ई), दिनांक 1 जुलाई, 1992 सुधा सं. चा. आ. 842(ई) दिनांक 21 सितम्बर, 1998 के अंतर्गत संशोधित किए गए।

1095 G1/99

(1)

क्यातहरू केल के के कि मि

MINISTRY DERAILWAYS (Rullyny Board)

NOTHICATION -

Now Delh, the oth April, 1999 or own part with the Kallways Add. 1989 (24 of 1989). The Central Government hereby makes the following rules thinker to amend the Authorisation of Ball Kravellers' Service Agents Rules, 1985, namely:

1. (1) These Rules may be called the Authorisation of Rail Travellers' Service Agents (Second Amendment) Rules, 1999.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazatte.

- (2) They shall come into force on the date of their publication, in the Official Gazette.
- 2. In the Authorisation of Rail Travellers' Service Agents Rules, 1985, in rule 3, for sub-rules (2) and (3), the 2. In the Authorisation of Rail Travellers' Service Agents Rules, 1985, in rule 3, for sub-rules (2) and (3), the following sub-rules shall be substituted, namely:

 (2) The fees on payment of which the licence shall be issued or renewed shall be Rs. 3,000 and Rs. 1,500 for any additional licence for a Railway in the same station.

 (3) The security deposit on furnishing of which the licence shall be issued or tenewed shall be Rs. 15,000 in cash and their Characters for Rs. 20,000 There shall be accepted of interior or the said deposit.

 - and Bank Guarantee for Rs. 40,000. There shall be no accrual of interest on the said deposit." in many character for the dolone, refere miner on the measure of there are the transfer of the

- a pipe, fine freepolisi . .

or the see or war the transfer which

The contract of the property of

the Dr. Committee of Additional Conference of Assessment The state of the second of the second

the state of the s

P. TRIPATHWISCOY4 Railway, Boar Foot Note: The principal rules were published vide No. S.O. 881(E), dated the 5th December, 1985 and subsequent amended vide No. S.O. 771(E) dated the 30th July, 1987, No. S.O. 331(E), dated the 1st July, 1992 and N S.O. 842(E) dated the 21st September; 1998.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

HRCI & USIUSI The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खब्ह 3-उप-खब्ह (ii)

PART II Section 3 Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशिय

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. .903] No. 903] नई दिल्ली, शुक्रमार, दिसम्बर 14, 2001/वाग्रहायण 23, 1923 NEW DELIH, FRIDAY, DECEMBER 14, 2001/AGRAHAYANA 23, 1923

> रेल मंत्रालय (रेलवे चोर्ख) अधिसूचना नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2001

का.आ. 1220(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989(1989 का 24) की घारा 200 के साथ पठित थारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेल यात्री सेवा अभिकर्ता प्राधिकरण नियम, 1985 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

- 1. (1) ये नियम रेल यात्री सेवा अभिकर्ता प्राधिकरण (संशोधित) नियम, 2001 कहलाएंगे।
 - (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
- 2. रेल यात्री सेवा अभिकर्ता प्राधिकरण नियम, 1985(क) के नियम 5 में :-
 - (क) खंड (ji) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को रखा जाए, अर्थात्—
 - ''(ii) अनुज्ञप्ति हस्तांतरणीय नहीं होगी:

परंतु यदि अनुव्रित्याधारी की मुखु हो जाती है यो अनुव्रित्त की असमाप्त अवधि के लिए अनुव्रित्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके कानूनी वारिस (वारिसों)को हस्तांतरित कर दी जाए और उनत कानूनी वारिस इन नियमों के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार उनते अंतुव्रित के नवीकरण के लिए आवेदन करने के लिए भी पात्र हैं(हैं)।";

- (ख) खंड (xiv) के परचात् निम्नलिखित खंड शामिल किया जाए, अर्थात्—
- ''(xv) क्षेत्रीय रेलें इन नियमों के ढांचे के भीतर सामान्य कार्यप्रणाली संबंधी शर्तों को दर्शाएंगी:—''
- (ख) नियम 6 में खंड (क) के लिए निम्नलिखित को रखा जाए:-

" (क) अनुत्रिप्त का निलंबन्/रह्करण: सक्षम प्राधिकारी को भारतीय रेल अधिनियम, 1989 और इन नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों पर प्रितिकृत प्रभाव डाले बिना, टिकर्टे ख़रीदने और आरक्षण प्राप्त करने की बाबत लागू इन नियमों या किन्हीं अन्य नियमों या विनियमों के अधीन शर्तों में से किसी का उल्लंबन करने के लिए या उन्हें न पूरा करने के लिए या किसी अन्य कारण से जिसे सक्षम प्राधिकारी लोकहित में समीचीन समझता है, किसी भी समय अनुत्रिप्त को निलंबित करने या रह करने का प्राधिकार होगा।

अनुज्ञप्ति के निलबंन के मामले में, अनुज्ञप्ति और पहचान पत्र निलंबन आदेश जारी होने के सात दिन के भीतर सक्षम प्राधिकारी को अध्यपित कर दिया जाए, ऐसा न करने पर अनुज्ञप्ति समाप्त करने के संबंध में कार्यवाही की जाएगी।

परन्तु इस नियम के अधीन अभिकर्ता के विरुद्ध तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जएगी, जब तक कि उसे कारण बताने का अवसर नहीं दिया जाता।''।

> [2000/टी.जी.-]/23/पी/आरटीएसए रूल्स] आर. के. सिंह, सचिव रेलवे बोर्ड

भाई टिप्पणी :—मूल नियम सं. का.आ. 881 (ज); दिनांक 5 दिसम्बर, 1985 के अंतर्गत प्रकाशित किए गए तथा तत्पश्चात सं का.आ. 771(ज) दिनांक 30 जुलाई, 1987, सं का.आ.331(अ), दिनांक 1 जुलाई, 1992, सं का.आ.842(अ), दिनांक 21 सितम्बर, 1998 तथा सं का.आ.245(अ), दिनांक 12 अप्रैल, 1999

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board) NOTHICATION

New Delhi, the 11th December, 2001

S.O. 1220(E).—In exercise of the powers conferred by Section 60 read with Section 200 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Authorisation of Rail Travellers' Service Agents Rules, 1985, namely :-

- 1. (1) These Rules may be called the Authorisation of Rail Travellers' Service Agents (Amendment) Rules,
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. In the Authorisation of Rail Travellers' Service Agents Rules, 1985, (A) in rule 5,—
 - (a) for caluse (ii), the following shall be substituted, namely :--"(ii) The licence shall not be transferable: Provided that in case the licence dies, the licence may be transferred to his legal heir(s) for the unexpired period of licence, by the competent authority and the said legal heir(s) is/are also eligible to apply for renewal of said licence in accordance with the provisions of rule 7 of these rules.";
 - (b) after clause (xiv), the following clause shall be insited, namely:-"(xv) Zonal Railways shall specify the general working conditions within the frame work of these rules";
 - (B) In rule 6, for clause (a), the following shall be substituted namely :-
 - "(a) Suspension/cancellation of the Licence :—Without prejudice to any other provisions under the Railways Act, 1989, and these rules the competent authority shall have the right to suspend or cancel at any time the licence after giving due notice for violation or for ceasing to fulfil any of the conditions under these rules or any other rule or regulation applicable with regard to purchase of ticket and securing reservation or for any other reason which the competent authority deems to be expendient in the public interest to do so. In case of suspension of licence, the licence and identity cards shall be surrendered to the competen

authority within seven days of issuance of the order of suspension failing which action shall be initiated to terminate the licence:

Provided that no action under this rule shall be taken unless an apportunity to show cause is given to the agent.".

[2000/TG-I/23/P/RTSA Rules R. K. SINGH, Sccy., Railway Boar

Foot Note:—The principal rules were published vide No. S.O. 881(E), dated the 5th December, 1985 and subsequently amended vide No. S.O. 771(E) dated the 30th July, 1987 No. S.O. 331(E), dated the 1st July, 1992, No. S.C 842(E) dated the 21st September, 1998 and No. S.O. 245(E) dated 12th April, 1999.